

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनैना देवी पति- जय किशुन राम ग्राम-पो०- नैनहा थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली सीआर न०- 108112602012751	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बिदा सहनी पिता- जुलूम साहनी ग्राम- मझरिया शेख वार्ड 02 पो०- मझरिया शेख थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न०- 108112600031979	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	भूपेद्र कामत पिता- सप लाल कामत ग्राम- महेशपुर वार्ड 12 पो०- महेशपुर थाना- पिपरा जिला- सुपौल सीआर न०- 108112300362345	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	इंद्र देवी पति- रामविलाश शर्मा ग्राम- नैनाघाट वार्ड 13 पो०- नैनाघाट थाना- भालपट्टी जिला- दरभंगा सीआर न०- 108112600650814	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	राज किशोर राम पिता- स्व० सीताराम दास ग्राम- हनुमाननगर वार्ड 09 पो०- बसतपुर थाना- वीरपुर जिला- सपौल सीआर न०- 108112600863303	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	फुर्ती यादव पिता- रामोतार यादव ग्राम- सबदलपुर पो०- शालिग्रामी थाना- साहेबपुर कमाल जिला- बेगूसराय सीआर न०- 108112601420693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	राकेश महतो पिता- विरेन्द्र प्रसाद ग्राम- मोहनपुर वार्ड 25 पो०- बेघेजी थाना- बरौली जिला- गोपालगंज सीआर न०- 108112602039624	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	अभय कुमार सिंह पिता- रामसूरत सिंह ग्राम+पो०- हकाम थाना- महादेवा जिला- सिवान सीआर न०- 108112300139760	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	सुदमिया देवी पति- स्व० दगल चौधरी ग्राम- परवलपुर वार्ड 08 पो०+थाना- परवलपुर जिला- नालदा सीआर न०- 108112502590561	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	हरिहर प्रसाद पिता- स्व० धन्नु महतो ग्राम- नियर राम लखन सिंह कॉलेज धरहरा पालीगंज वार्ड 03 पो०+थाना- पालीगंज जिला- पटना सीआर न०- 108112401197566	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	अरुण यादव पिता- रामप्रसाद यादव ग्राम- अररिया पो०- फतेपुर थाना- नरपतगंज जिला- अररिया सीआर न०- 108112300856542	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

12	अशोक पासवान पिता- कमल पासवान ग्राम- बारा भरना वार्ड 02 पो0- बारा थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112300727556	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
13	इमतिर्याई आलम पिता- हदीस ग्राम- मारर दक्षिणी पो0- मारर थाना- मोरकाही जिला- खगडिया सीआर न0- 108112502603171	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
14	निर्मला देवी पति- रमेश ततमा ग्राम+पो0- पिपरा थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112400914892	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
15	सरोजनी देवी पति- दिलीप कुमार मडल ग्राम- कामत टोला सप्नी वार्ड 10 पो0- रूप्नी हाट थाना- बहादुरगंज जिला- किशनगंज सीआर न0- 108112601822996	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
16	सुदर्शन पासवान पिता- लक्ष्मण पासवान ग्राम- हरपुर रेवाडी वार्ड 12 पो0- हरपुर रेवाडी थाना- अंगारघाट जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112401646140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
17	सारिका देवी पति- उमेश साह ग्राम- बगरस वार्ड 01 पो0+थाना- भागवानपुर जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112301131386	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
18	हसमुन निशा पति- मो0 मौतीम ग्राम- अखता वार्ड 06 पो0- अखता थाना- सुप्पी जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112300761932	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

19	जगन्नाथ प्रसाद पिता- राम सुभग प्रसाद ग्राम- सुरसंड वार्ड 05 पो0+थाना- सुरसंड जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112602342293	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
20	उमा देवी पति- ऊमल ठाकुर ग्राम- सोहिलवारा वार्ड 02 पो0- समसा थाना- मसूरचक जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112601949279	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
21	अर्चना देवी पति- प्रदीप कुमार सिंह ग्राम- गजपर वार्ड 18 पो0- नौतन थाना- एकमा जिला- सारण सीआर न0- 108112602410110	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
22	विनय कुमार पिता- रामबली दास ग्राम- इरकी वार्ड 10 पो0- एरकी थाना- बेलागज जिला- गयाजी सीआर न0- 108112601790024	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
23	पप्पू हरिजन पिता- सहदेव हरिजन ग्राम- बिदटोली दिलदारपुर पो0- चम्पानगर थाना- नाथनगर जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112601795735	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
24	जियाउद्दीन पिता- हाफिज कबीर ग्राम- गदियाचक वार्ड 03 पो0+थाना- सन्हौला जिला- भागलपुर सीआर न0- 108112600908994	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
25	गजेन्द्र यादव पिता- राजदीप मंडल ग्राम+पो0- अरन थाना- बिहरा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112601172142	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

26	सुनिता देवी पति- देवो राम ग्राम- परमानंदपुर वार्ड 39 पो0- कोशी कॉलेज थाना- मुफ्फसिल जिला- खगडिया सीआर न0- 108112601638729	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
27	कुमकुम देवी पति- रामाकात सिंह ग्राम- मरौंची ताजपुर टोला पो0+थाना- मरौंची जिला- पटना सीआर न0- 108112602231401	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
28	रणवीर यादव पिता- सुधीर यादव ग्राम- सोहा नाथ टोला वार्ड 04 पो0- सोहा थाना- सोनवर्षा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112601837071	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
29	राम कुमारी देवी पति- रामरतन मडल ग्राम- हरियाही वार्ड 05 पो0- हरियाही थाना- निर्मली जिला- सुपौल सीआर न0- 108112602138304	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
30	चद्रकली देवी पति- बलिराम साह ग्राम- पिपरा वार्ड 03 पो0- उसरी बाजार थाना- बैकुंठपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112600057692	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
31	भरत सिंह पिता- फुलेश्वर सिंह ग्राम- अरराहा वार्ड 12 पो0- सस्कृत निर्मली थाना- करजाईन जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112602082066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
32	आरती देवी पति- स्व0 राजू महतो ग्राम- सैदपुर नन्द नगर कॉलोनी पो0- राजेन्द्र नगर थाना- बहादुरपुर जिला- पटना सीआर नं0- 108112300318699	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

33	सुमित्रा देवी पति- तारनी यादव ग्राम- हल्का वासा पो0- चोढली थाना- बेलदौर जिला- खगडिया सीआर न0- 108112601864257	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	प्रबिला देवी पति- बालगोविंद सिंह ग्राम+पो0- नसरतपुर थाना- धनरूआ जिला- पटना सीआर न0- 108112602157490	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	नीरस राउत पिता- रजन राउत ग्राम- कुसमारी पो0- खारसान थाना- रीगा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112602330850	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	अनूप कुमार चौरसिया पिता- तारकेश्वर प्रसाद ग्राम+पो0+थाना- रघुनाथपुर जिला- सिवान सीआर न0- 108112300971783	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
37	पार्वती देवी पति- कृष्णा मोहन झा ग्राम- डभरा वार्ड 08 पो0- डभरा थाना- ताराबाडी जिला- अररिया सीआर न0- 108112502522298	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
38	इंद्रजीत यादव पिता- स्व0 रामाश्रय यादव ग्राम- पकवलिया वार्ड 15 पो0- रतनपुरा थाना- महाराजगंज जिला- सिवान सीआर न0- 108112501727252	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
39	मधु कुमारी पिता- रामनरेश राय ग्राम- हरेरामपुर वार्ड 04 पो0- अईजानी थाना- दौडाही जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112401794106	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

40	कामनी देवी पति- राजेश साह ग्राम- रानी वार्ड 12 पो0- रानी 03 थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112501303428	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
41	बदरी यादव पिता- कमलेश्वरी यादव ग्राम- रामनगर पो0- बासुदेवा थाना- घैलाढ जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112400002559	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
42	धरवीर कुमार पिता- गणेश नट ग्राम- सगुनी वार्ड 07 पो0- श्रीरामपुर थाना- परसा जिला- सारण सीआर नं0- 108112502253840	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
43	जसर देवी पति- रामजिनिस राय ग्राम- कोइली वार्ड 13 पो0- कोइली थाना- नानपुर जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112400440441	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
44	उषा देवी पति- ओम प्रकाश कुमार ग्राम- भरवाडा वार्ड 13 पो0- भरवाडा थाना- सिघवारा जिला- दरभंगा सीआर न0- 108112403237158	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
45	श्रवण कुमार पिता- राघो सिंह ग्राम- बिशुनपुर पो0- ओपे थाना- एकगर जिला- नालंदा सीआर न0- 108112400033322	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
46	वकील मडल पिता- डोमि मडल ग्राम- पिपरा वार्ड 05 पो0- पिपरा थाना- बनमनखी थाना- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112600678603	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
47	अजय कुमार पिता- अमृत सहनी ग्राम- हरिनगर महिंदवारा पो0+थाना- महिन्दवारा जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112602003948	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

48	जयमाला देवी पति- रविद्र कुमार साह ग्राम- चकला पो0+थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112601016973	Cataract Surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
49	किरण देवी पति- सजय कुमार ग्राम- लाखाचक वार्ड 06 पो0+थाना- बेलछी जिला- पटना सीआर न0- 108112602240885	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	चौद अली पिता- मो0 कासिम ग्राम- शेख बिगहा पो0- सोन नगर थाना- बरुण जिला- औरंगाबाद सीआर न0- 108112601102411	हृदय रोग टीओएफ	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
51	गीता देवी पति- लक्ष्मी नारायण सिंह ग्राम- रामपुर लेन मुसल्लहपुर हाट पो0- महेन्द्रू थाना- सुल्तानगंज जिला- पटना सीआर न0- 108112403553572	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	भगवती देवी पति- लालबाबू यादव ग्राम- खेम मटिहनिया वार्ड 02 पो0- दुर्ग मटिहनिया थाना- विश्वम्भरपुर जिला- गोपालगंज सीआर न0- 108112602133973	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	राजीव कुमार साह पिता- ढोढाई साह ग्राम- नामापुर खेढी वार्ड 13 पो0+थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112402076835	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	रीता देवी पति- सुभाष कुमार सिंह ग्राम- कडवा वार्ड 15 पो0- कडवा थाना- कदवा जिला- कटिहार सीआर नं0- 108112502446958	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

55	राजकुमारी देवी पति- राधे कृष्ण राय ग्राम- कुमारगामा पो0-तेरा जतमलपुर थाना- कल्याणपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112300330028	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
56	समरीन प्रवीण पति- मो0 शमीम आलम ग्राम- सुलसाबाद वार्ड 12 पो0+थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 108112601984066	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
57	बच्ची देवी पति- नदे महतो ग्राम+पो0- भागन बिगहा थाना- रहुई जिला- नालदा सीआर न0- 108112601520434	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
58	उमा शकर प्रसाद पिता- स्व0 किशोरी प्रसाद ग्राम- चैलिटाल महावीर लेन पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना सीआर नं0- 108112602092568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
59	निर्मला देवी पति- ओम प्रकाश सिंह ग्राम- गंगा विहार कॉलेनी दीघा वार्ड 22 पो0- दीघा घाट थाना- दीघा जिला- पटना सीआर नं0- 108112602245968	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत ।
60	गेना देवी पति- तेतर दास ग्राम- चमरेली पो0- लखनौडीह थाना- बांका जिला- बांका सीआर न0- 108112503658886	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
61	सार्थक कुमार पिता- रोहित कुमार ग्राम- बिशनपुर पो0- मधुलता थाना- रानीगज जिला- अररिया सीआर न0- 108112602069931	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

62	मीना देवी पति- अवधेश कुमार ग्राम- करवा वार्ड 10 पो0- दौलतपुर थाना- भगवानगज जिला- पटना सीआर न0- 108112301061748	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			46,15,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 46,15,000/- (छियालीस लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2658(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नितीश भारतीय पिता- भगवान मिस्त्री ग्राम- सुंदरपुर पो0- करौटा थाना- सालीमपुर जिला- पटना सीआर न0- 109112300201353	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सरिता देवी पति- नरेन्द्र कुमार ग्राम- मानपुर वार्ड 04 पो0- कझाईन थाना- बिक्रमगज जिला- रोहतास सीआर नं0- 109112600430001	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सजय कुमार पिता- धर्मेन्द्र सिंह ग्राम- मिल्की पो0+थाना- नयागाव जिला- सारण सीआर नं0- 109112401980876	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	ललन प्रसाद गुप्ता पिता- स्व0 रामजी साह ग्राम- बडी बाजार मोहनिया पो0+थाना- मोहनियों जिला- कैमूर भभुआ सीआर न0- 109111901862415	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	शहरूमा बेगम पति- मो० कमरूल होदा ग्राम- सहरसा बस्ती पो०+थाना- सहरसा जिला- सहरसा सीआर नं०- 109112402837261	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
6	राहुल कुमार पिता- बृजनदन सिंह ग्राम+पो०- कुमार थाना- कसन्दिरा जिला- जमुई सीआर नं०- 109112601880604	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	मनीषा देवी पति- बबलू कुमार ग्राम- चेरी वार्ड 12 पो०- चेरी थाना- सरमेरा जिला- नालदा सीआर नं०- 109112600843888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	विजय प्रसाद सिंह पिता- कामदेव प्रसाद सिंह ग्राम- मोर वार्ड 04 पो०- मोर थाना- मोकामा जिला- पटना सीआर नं०- 109112400457762	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
9	चदा देवी पति- प्रहलाद प्रसाद ग्राम- अकबरपुर पो०- सीलपुर थाना- दरियापुर जिला-सारण सीआर नं०- 109111901330316	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
10	नितीश कुमार पिता- सुभाष सिंह ग्राम- कोनी टोला पो०- परेओ थाना- आईआईटी जिला- पटना सीआर नं०- 109112000707697	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	प्रभा देवी पति- सतीश कुमार ग्राम- रोहाई पो०- बरनाथु थाना- करपी जिला- अरवल सीआर नं०- 109111900520928	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।

12	मोहम्मद अख्तर पिता- अबुल हसन ग्राम- मिल्की मोहल्ला पो0+थाना- आरा जिला- भोजपुर सीआर न0- 109112601646091	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
13	देवमती देवी पति- बीरबल महतो ग्राम- छोटा झौआ पो0- झौआ थाना- अवतारनगर जिला- सारण सीआर न0- 109111901006527	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
14	शकीला खातून पति- मो0 हारून ग्राम- रामपुर केशो पो0- फुलकाहॉ थाना- श्यामपुर भटहॉ जिला- शिवहर सीआर नं0- 109112601845787	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
15	अशोक कुमार पिता- लखन साव ग्राम+पो0- ओदा थाना- सरे जिला- नालदा सीआर नं0- 109112601850101	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
16	राजविनय सिंह पिता- रामचंद्र सिंह ग्राम- कदम बिगहा पो0- रामपुर वैना थाना- परासी जिला- अरवल सीआर नं0- 109112600639431	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
17	लीलावती देवी पति- अखिलेश सिंह ग्राम+पो0- बभनगावां थाना- परसा जिला- सारण सीआर न0- 109112601835919	टोटल नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
18	सुशीला देवी पति- रामशकर राय ग्राम- सिसवा रसूलपुर पो0- नगरा थाना- गौरा बाजार जिला- सारण सीआर न0- 109112601503614	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

19	नन्दकिशोर दास पिता- झाम दास ग्राम+पो0- हरना बुजुर्ग थाना- रजौन जिला- बाका सीआर न0- 109112600508230	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	फातिमा जहरा पिता- मो0 जाबिर हुसैन ग्राम- बडी जाना पो0- पनसल्ला थाना- छौडाही जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 109112600900164	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
21	अनाबिया नाज पिता- मो0 सद्दाम ग्राम- मकदूमपुर कोदरिया वार्ड 07 पो0- मसूरपुर चमरूआ थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर सीआर न0- 109112600954281	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
22	उर्मिला देवी पति- अनेश साह ग्राम- नीमा सुढी टोला पो0- नीमा थाना- मनिहारी जिला- कटिहार सीआर नं0- 109112501472282	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	पुरुषोत्तम कुमार पिता- छडीलाल साह ग्राम- रसूलपुर वार्ड 07 पो0+थाना- नगरा जिला- सारण सीआर न0- 109112401521430	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	रेणु देवी पति- विश्राम महतो ग्राम- परसौनी वाजिद वार्ड 11 पो0- परसौनी वाजिद थाना- कल्याणपुर जिला- पूर्वी चम्पारण सीआर न0- 109112300794397	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			28,10,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 28,10,000/- (अठाईस लाख दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000887..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालू,

बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507
RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डा० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2659 (14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई० टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक ...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नागेन्द्र मिश्रा पिता- भिखारी मिश्रा ग्राम- उत्तरी मधुबनी पो०- दरियापुर थाना- संग्रामपुर जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 11एफ2026/009287	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	पिकी देवी पति- गौरी शकर सिंह ग्राम- खम्हार थाना- मुफ्फसिल जिला- बेगूसराय केस फाईल न०- 19एफ2026/002890	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	शनि कुमार पिता- दिनेश पासवान ग्राम- गुरमी पो०- अथर थाना- मुशहरी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19एफ2026/005768	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	बीबी रूकसाना पति- अनारूल हक ग्राम- लहना गोसाईबारी वार्ड 15 पो०- कमलदहा थाना- अररिया जिला- अररिया केस फाईल न०- 19एफ2026/000529	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	विष्णुलाल राय पिता- सत्यदेव राय ग्राम+पो0- धमौरा थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 005067	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	अमर कुमार पिता- दिनेश चौधरी ग्राम+पो0- राजोपट्टी थाना- मेहसौल जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 005916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	बबिता देवी पति- राम देव साह ग्राम- रून्नी पो0- भनसपट्टी थाना- रून्नी सैदपुर जिला- सीतामढी केस फाईल नं0- केई / 800626	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सोना देवी पति- दिलीप महतो ग्राम- फतेपुर पो0- महारानी थाना- महम्मदपुर जिला- गोपालगंज केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 003932	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	रेनू देवी पति- दिनेश साह ग्राम- बेला हॉस्पिटल के सामने पो0- एम0आई0सी0 थाना- बेला जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 005103	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	निरजन चौधरी पिता- यूगेश्वर चौधरी ग्राम+पो0- शर्फुद्दीनपुर थाना- बोचहा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2025 / 000836	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
11	सिमरन स्वराज पति- रजनीश कुमार ग्राम- किरतपुर गुरदास पो0- खबरा थाना- सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल नं0- 19एफ2026 / 005258	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

12	शिव कुमार पिता- सुरेश पासवान ग्राम- अम्बेडकर नगर पो0+थाना- बाढ जिला- पटना केस फाईल न0- 19एफ2026 / 000187	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मुकेश राय पिता- सुभाष राय ग्राम- अन्याय पो0- बभनगवा थाना- परसा जिला- सारण केस फाईल न0- 11एफ2026 / 017356	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुनैना देवी पति- राम शुक्ल तिवारी ग्राम- सोनपुर गोदोली पो0- सोनपुर थाना- कटरा जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19एफ2026 / 005498	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	नंदू राय पिता- सूखा राय ग्राम+पो0- बाजितपुर चकस्तूरी थाना- सहदेई जिला- वैशाली केस फाईल न0- 19एफ2026 / 006058	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	रवि रंजन रवि पिता- राज नारायण प्रसाद गुप्ता ग्राम- औरही पो0- रहरिया थाना- भपटियाही जिला- सुपौल केस फाईल नं0- 19एफ2024 / 004608	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	सुबोध कुमार सिंह पिता- स्व0 धनुषधारी सिंह ग्राम- दफतरपुर पो0+थाना- डोरीगज जिला- सारण केस फाईल न0- 11एफ2023 / 008847	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			12,90,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,90,000/- (बारह लाख नब्बे हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एडं रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

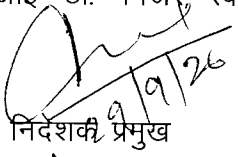
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2660 (14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 220.887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशकी प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,

महावीर कैसर सस्थान,

फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	जयमाला देवी पति— सुरेन्द्र राय ग्राम+पो०—रुसतमपुर थाना—रुसतमपुर जिला— वैशाली एम०सी०एस—10362748	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	जागेश्री देवी पति— संजय यादव ग्राम— खैरुचक पो०— सोहरैया थाना— शकुराबाद जिला— जहानाबाद एम०सी०एस— 10364530	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मंगल राय पिता— स्व० राम राय ग्राम+पो०— सादीपुर बथनाहा थाना— वारिस नगर जिला— समस्तीपुर एम०सी०एस—एफ 73760/ 10319652	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	कोमल कुमारी पति— बप्पी लाल देव ग्राम— गंगिया पो०— सोनकी थाना— बहादुरपुर जिला— दरभंगा एम०सी०एस— 10368773	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अजाउल हक पिता- अब्दुल रउत ग्राम-कार्निया पोस्ट- तेलता थाना- बलरामपुर जिला- कटिहार एम0सी0एस-10370668	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	रधीर सिंह पिता- स्व0 जानकी सिंह ग्राम- न्यू ऐरिया गोह पो0- गोह थाना- गोह जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस-ई0 18360 / 10164253	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
7	अमृता कुमारी पिता-शनीचर मडल ग्राम- भोरहा पो0- डभरा थाना- कुर्साकाटा जिला- अररिया एम0सी0एस- 10370916	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	चुल्हाई सरदार पिता- सुनर सरदार ग्राम- लालमनपट्टी पो0- लालमनपट्टी थाना- रतनपुरा जिला- सुपौल एम0सी0एस- 10363882	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	रामानन्द चौधरी पिता- डोमा चौधरी ग्राम- अमझर शरीफ पोस्ट+थाना- हसपुरा जिला- औरंगाबाद एम0सी0एस- 10369223	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	सुनरपति देवी पति- श्याम लाल चौधरी ग्राम- तेलकथुपो- तेलकथु थाना- एम0एच0 नगर जिला- सीवान एम0सी0एस- 10369833	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	सरस्वती देवी पति- कविन्द्र सिंह ग्राम- कथैया पो0- कथैया थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर एम0सी0एस- एफ 79799 / 103252691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

12	भोलादीन असारी पिता— सरफला मिया ग्राम— मजिरवा पोस्ट— मजिरवा थाना— लखौरा जिला— पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस— 10350702	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	रवि प्रकाश पिता— गया लाल प्रसाद ग्राम— पिपरा पो0— दरपा थाना— दरपा जिला— पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस— 10361359	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	रविना देवी पति— नन्द किशोर राम ग्राम— तुर्की पोस्ट— कनियारी थाना— दिनारा जिला— रोहतास एम0सी0एस—एफ 89435 / 10335327	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	रेखा देवी पति— उनदेव सिंह ग्राम— बलनशेर पो0— सोनपट्टी थाना— बाबु बरही जिला— मधुबनी एम0सी0एस—10369485	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मोहन बिन्द पिता— रामाशीष बिन्द ग्राम— सैदपुर पोस्ट— दरवेशपुर थाना— बिन्द जिला नालदा एम0सी0एस— 10369209	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	चुर्नमा खातुन पति वाहिद असारी ग्राम— धर्मराज पोस्ट— सुघरी थाना— भगवानपुर हाट जिला— सीवान एम0सी0एस—जी0 13822 / 10359713	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	वंदना कुमारी पति— धिरेन्द्र कुमार ग्राम— मानो इंग्लिश पो0— मानो थाना— सूर्यगढा जिला— लखीसराय एम0सी0एस— एफ 92091 / 10337983	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

19	आशिफ खान पिता- मो0 इस्लाम ग्राम- हफीज कोलनी दूध कटोरा वार्ड 27 पो0- आरा थाना- आरा नगर जिला- भोजपुर एम0सी0एस- 10364249	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
20	सरस्वती देवी पति- केशबर सिंह ग्राम- कैथी पो0- तेतराढ थाना- अकोढीगोला जिला- रोहतास एम0सी0एस- 10368989	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
21	जीरवा देवी पति- लालदेव राय ग्राम- मोहीउद्दीनपुर गराही पो0- गराही थाना- जन्दाहा जिला वैशाली एम0सी0एस- 10370155	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
22	दामोदर सहनी पिता- रामचंदर सहनी ग्राम- कमला नेहरू नगर पोस्ट- जी0पी0ओ0 थाना- कोतवाली जिला- पटना एम0सी0एस- 10365675	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
23	सुरेन्द्र महतो पिता- स्व0 भोला महतो ग्राम+पो0- सलेमपुर डुमरी थाना- कटहरा ओ0पी0 जिला- वैशाली एम0सी0एस- 10369476	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
24	आशा देवी पति- विनोद कुमार ग्राम- नारायणपुर पो0- नारायणपुर थाना - नारायणपुर जिला भोजपुर एम0सी0एस- 10369814	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
25	ऋषभ कुमार पिता- विरेन्द्र पासवान ग्राम- आबेडकर चौक पो0- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना एम0सी0एस- 10370065	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

26	मुक्ति महतो पिता- वनारसी महतो ग्राम-खोरमपुर पो0- नगरा थाना- गौरा बाजार जिला- सारण एम0सी0एस-एफ 33889 / 10279781	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
27	चदन साह पिता- अशोक साह ग्राम- मटियारा टोक पोस्ट+ थाना- सराय जिला- वैशाली एम0सी0एस- 10364695	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
28	मिन्ता देवी पति- प्यारे यादव ग्राम- रामसागर पो0- धधौरा थाना- सिकन्दरा जिला- जमई एम0सी0एस-एफ 89526 / 10335418	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
29	चम्पा देवी पति- अशोक भगत ग्राम- बडका डुमरा पो0- बडका डुमरा थाना- आरा मुफसिल जिला- भोजपुर एम0सी0एस- 10365585	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
30	माया देवी पति- हरी भुषण शर्मा ग्राम- जामनी अमनोर पो0- रिठ थाना एकमा जिला- सारण, छपरा एम0सी0एस- 10369582	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
31	मजु देवी पति- अवधेश कुमार मिश्रा ग्राम- किसनपुर पो0- घटहो थाना- दलसिंहसराय जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- 10368759	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
32	प्रमोद कुमार यादव पिता- राम जनम सिंह ग्राम- काशीपुर पोस्ट- बिदुपुर आर0एस0 थाना- बरांटी ओ0पी0 जिला- वैशाली एम0सी0एस-एफ 84886 / 10330778	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

33	वीणा देवी पति- कुञ्जय कुमार पंडित ग्राम- बरियारपुर पो0 पीरी बाजार थाना- पीरी बाजार जिला- लखीसराय एम0सी0एस-जी0 13965 / 10359856	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
34	रवि रंजन कुमार पिता- रजीत साह ग्राम- सोनमई पो0 सोनमई थाना- धनरुआ जिला- पटना एम0सी0एस- 10370759	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
35	माधुरी देवी पति- भरत साह ग्राम- ओलहा बाजार पो0- मेहता टोली थान- हरसिद्धी जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10361668	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
36	शिवमुनी पाण्डेय पिता- अमरदेव पाण्डेय ग्राम- माधोपुर पो0- कृतपुर थाना- हरसिद्धी जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10367391	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
37	सैरुद्दीन पिता- नजीरुद्दीन ग्राम- हालामाला पोस्ट- बेलवा थाना- किशनगज जिला- किशनगज एम0सी0एस- 10371234	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
38	मनीष कुमार पिता- इन्द्रदेव यादव ग्राम- अमडार पो0- परघडी थाना- सबौर जिला- भागलपुर एम0सी0एस-एफ 99928 / 10345820	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
39	रोहित कुमार राम पिता- भुनेश्वर राम ग्राम-बारा पो0- खजुरिया थाना- आरा मुफसिल जिला भोजपुर एम0सी0एस- 10370051	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

40	उमा पाण्डेय पति प्रमोद कुमार पाण्डेय ग्राम-सिसवा पोस्ट- रामपुर मीना थाना- बरूरराज जिला- मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 27605 / 10273497	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
41	राम पुकार राय पिता- रामजी राय ग्राम- रमैया पो0- भदैया थाना- मोहीउद्दीन नगर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 70854 / 10316746	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
42	जामुन यादव पिता- कुशेश्वर यादव ग्राम-बारेल तेघरा पो0 बाबुबरही थाना- बाबु बरही जिला- मधुबनी एम0सी0एस-ई0 96672 / 10242565	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
43	हसनैन अहमद पिता- शरीफउद्दीन ग्राम- नया गाव रायसर पो0- बासुदेवपुर थाना बासुदेवपुर जिला मुगेर एम0सी0एस- 10368976	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
44	जनक दुलारी देवी पति-रामजी दुबे ग्राम+पो0- बेलौर थाना-उदवंत नगर जिला भोजपुर एम0सी0एस-10368175	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
45	सोनवा देवी पति- नारायण साह ग्राम- बरवा खुर्द पो0- घोडा साहन थाना- कुडवा चैनपुर जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10369255	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

46	अर्जुन चौहान पिता- सफुल चौहान ग्राम- धरहरा पो0- कोच थाना कोच जिला गया एम0सी0एस- 10367657	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
47	मिठ्ठु सिंह पिता फुदीना सिंह ग्राम- डगराहॉ पो0 मेहसी थाना- मेहसी जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10371022	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
48	रजु देवी पति- सुशील राय ग्राम- सुरियाही पो0- बैरा थाना जय नगर जिला- मधुबनी एम0सी0एस- 10369226	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
49	महेश दास पिता- अशर्फी दास ग्राम- बहादुर नगर कचहरी टोला, पो0-कुतुलपुर थाना- मुफसिल जिला- मुगेर एम0सी0एस- 10368612	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
50	गणेश सहनी पिता- अनिरुद्ध सहनी ग्राम- आमाटोल उसराही पो0- उसराही थाना- देवधा जिला- मधुबनी एम0सी0एस- 10368825	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
51	कान्ति देवी पति- अमरदेव चौधरी ग्राम- करवा पो0 डेकहा थाना- पिपराकोठी जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-10368968	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
52	राणा सिंह पिता- रामेश्वर सिंह ग्राम- कुण्डी पो0- खपडा थाना- सग्रामपुर जिला- मुगेर एम0सी0एस- 10367740	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

53	रमेश पंडित पिता— जागेश्वर पंडित ग्राम— बलहा बाजार पो0— बलहा बाजार थाना— मानसी जिला खगडिया एम0सी0एस— 10369638	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
54	कृति कुमारी पिता— राहुल कुमार ग्राम— सोरहीपुर पो0— कोचगाव थाना— वारसलीगज जिला नवादा एम0सी0एस— 10369574	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	दिलिप राय पिता— सतन राय ग्राम— सढिऔता पो0— सढिऔता थाना— भगवानपुर जिला वैशाली एम0सी0एस— 10361432	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	प्रभावती देवी पति— ब्रिज बिहारी तिवारी ग्राम— करथ पो0— करथ थाना— तरारी जिला— भोजपुर एम0सी0एस— डी0 80701 / 10126595	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	कृष्णावती देवी पति— ओम प्रकाश चौधरी ग्राम— सोमरी पो0— नवलपुर थाना— नवलपुर जिला— प0 चम्पारण एम0सी0एस— जी0 8242 / 10354133	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	मचिया देवी पति— कालेश्वर पंडित ग्राम— कुतुबपुर पो0— कुतुबपुर सैदपुर थाना— बिदुपुर जिला वैशाली एम0सी0एस— 10368936	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	ज्ञान्ती देवी पति— चन्द्रमा प्रसाद ग्राम— करसघाट पो0— झझवा बाजार थाना— महम्मदपुर जिला— गोपालगंज एम0सी0एस— 10369322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

60	धनजय कुमार पिता- पशुराम पडित ग्राम- लोदीपुर पो0- सरवरपुर थाना-मेंहदिया जिला अरवल एम0सी0एस-10366742	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
61	घुरन साह पिता- महथी साह ग्राम- महथा पो0- महथा थाना- लदनियाँ जिला- मधुबनी एम0सी0एस-10369291	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत ।
62	महेन्द्र मंडल पिता- दुखीदास मंडल ग्राम- धुरगौव पो0- धुरगौव थाना- भर्राही जिला- मधेपुरा एम0सी0एस- 10357103/जी0 11212	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत ।
63	अनिता देवी पति- कन्हारि ठाकुर ग्राम- डुमरी पो0 खबरा थाना- सदर जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस- 10332299/एफ 86407	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
64	मनोज कुमार पिता- कामता राम ग्राम- मकसुदपुर पो0- डिहरी थाना- पीपडा जिला- पटना एम0सी0एस- 10368941	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
65	गीता देवी पति- प्रताप महलदार ग्राम- चूनापर पो0- हवाई अड्डा थाना-कै0नगर जिला- पूर्णिया एम0सी0एस- 10369000	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
66	नुरजहाँ खातुन पति- बीगु राय ग्राम- शेखपुरवा पो0- परसौनी कपुर थाना- पकडी दयाल जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- 10370611	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

67	मो० फरहान पिता- रेहान ग्राम-मीरपुर वार्ड 04 पो०- मीरपुर थाना- रौटा जिला- पूर्णिया एम०सी०एस- 10371253	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
68	सुरेन्द्र प्रसाद यादव पिता- जगदीश लाल यादव ग्राम- शान्ती नगर पो०- भट्टा बाजार थाना- सहायक खजांची जिला पूर्णिया एम०सी०एस- 10368134	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
69	लालमुनी देवी पति- राम खेलावन चौधरी ग्राम- धुरिया पो०- बरौली थाना- बारुण जिला औरंगाबाद एम०सी०एस- 10370021	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
70	विराट कुमार सिंह पिता- प्रदीप कुमार सिंह ग्राम- मोहमारी धनटोला पो०- धनटोला थाना- दीघल बैक जिला- किशनगंज एम०सी०एस- 10367027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
71	बबीता देवी पति- अशोक पासवान ग्राम- लोकनाथपुर गज पो०- दलसिंह सराय थाना- दलसिंह सराय जिला- समस्तीपुर एम०सी०एस- 10297865/एफ 51973	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
72	ममता देवी पति- बिजेन्द्र सिंह ग्राम- बहोरनपुर पो०- गंगौली थाना- अकोढी गोला जिला- रोहतास एम०सी०एस- 10334652/ एफ 88760	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
73	फुलपती देवी पति- सुखादी राम ग्राम- श्रीनगर पो०- खरतीआ थाना- मनुआपुल जिला- प० चम्पारण एम०सी०एस- 10363894	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

74	भगवान राम पिता- बुधनाथ राम ग्राम- दरियापुर पो0 बेलखारा थाना- रामपुर चोरम जिला- अरवल एम0सी0एस- 10370194	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
75	लालती देवी पति- सजय चद्रवंशी ग्राम- अकबरपुर पो0 रोहतास थाना+जिला- रोहतास एम0सी0एस- 10369346	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
76	नुमान अली पिता- अब्दुल कैयुम ग्राम- घघरी बरियापोखर पो0- करणकिया थाना- बौंसी जिला- अररिया एम0सी0एस- 10362818	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
77	रजबनी खातुन पति- मो0 जहीर ग्राम- बनभाग पोस्ट- परोरा थाना- के0 नगर जिला- पूर्णिया एम0सी0एस- 10366911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
78	सोना देवी पति- राज लाल यादव ग्राम- पशराही पो0- बसनियों थाना लौकहा जिला- मधुबनी एम0सी0एस- 10368858	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
79	समसा खातुन पति- मो0 उसमान ग्राम- सुखाय बासा पो0- दिघौन थाना- बेलदौर जिला- खगडिया एम0सी0एस- 10370085	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
80	ढलाय यादव पिता- काली यादव ग्राम- लतौना पो0- त्रिवेणीगज थाना- त्रिवेणीगज जिला सुपौल एम0सी0एस- 10371129	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

81	सोनामती देवी पति-विश्वनाथ शर्मा ग्राम- रामपुरवा पो0- डुमरीया थाना- महमदपुर जिला- गोपालगंज एम0सी0एस- 10370985	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
82	आर्यन कुमार पिता- अनिल यादव ग्राम- सुरहा बसंतपुर पो0- गजपति थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- जी0 8528 / 10354419	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
83	राम भवन यादव पिता- सकलदीप यादव ग्राम- मनरसा पो0- पाईबीघा थाना- पाई बीघा जिला- गया एम0सी0एस- 10369900	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
84	सुशीला देवी पति- विमल साव ग्राम- श्रीरामपुर टोला पो0- बिहटा थाना बिहटा जिला- पटना एम0सी0एस- जी0 5694 / 10351585	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
85	प्रमिला देवी पति- देवानन्द सिंह ग्राम- रजरवा रामपुर पोस्ट- मोरबा थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- 10356220 / जी0 10329	बोन मैरो ट्रांसप्लांट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत ।
86	रामेश्वर जमादार पिता- बिन्दा जमादार ग्राम- धोबी बिगहा पोस्ट+थाना- अस्थावा जिला- नालंदा एम0सी0एस- जी0 13534 / 10359425	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

87	साजो देवी पति-सिन्दु शर्मा ग्राम-गोदराम पो- सहसौल थाना- बसनही जिला- सहरसा एम0सी0एस- 10368534	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
88	रामचंद यादव पिता-सहदेव यादव ग्राम- निपानिय पो- निपानिया थाना- बडहारा कोठी जिला पूर्णिया एम0सी0एस- 99309	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
89	रामेश्वर सिंह पिता- राम नारायण सिंह ग्राम- पिठाघाट पो- रामपुर थाना गरखा जिला- सारण एम0सी0एस- 10368484	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
90	रीता कुशवाहा पति- रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा ग्राम- सिसवा बहुअरवा पो- मुरली थाना- शिकारपुर जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस- 10370781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
91	मृदुला कुमारी पति- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- बिशुनपुर मटिअरवा पो- नोनैया थाना- पहाडपुर जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- जी0 7431 / 10353322	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
92	अकेश कुमार पिता- अर्जुन पासवान ग्राम- बरगांव वार्ड 12 पो- हुस्सेपुर थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर एम0सी0एस- 10369222	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
93	मान्ती देवी पति- लाल बहादुर बैठा ग्राम- बैरिया पो- चन्द्रहिया थाना- मुफसिल जिला- पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस- एफ 99632 / 10345524	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।

94	शनिचर देवी पति- गणेश यादव ग्राम+पो0-पटुआहा थाना- सहरसा जिला-सहरसा एम0सी0एस- 10369460	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
95	ममता देवी पति- शम्भु साह ग्राम- अख्तियारपुर दोघरा पो0- भरथीपुर थाना- बलिगांव जिला- वैशाली एम0सी0एस- 10370867	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
96	उषा देवी पति- रंजीत महतो ग्राम- बरबीघी पो0- हुसैना थाना- बलिया जिला- बेगुसराय एम0सी0एस- 10366771	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
97	भगमनिया देवी पति- गोविन भर ग्राम+पो0- उनवास थाना- इटाही जिला- बक्सर एम0सी0एस- 10371002	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
98	मीना देवी पति- इन्द्रदेव प्रसाद ग्राम- सोहजना पो0- सुहावनपुर सुढी थाना- इस्लामपुर जिला नालदा एम0सी0एस- जी0 579 / 10346470	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
99	शशिकान्त यादव पिता- राम जन्म यादव ग्राम- चक्की मथुरा डेरा पो0- चक्की थाना चक्की जिला- बक्सर एम0सी0एस- 10366198	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
100	सुशील कुमार सिंह पिता- स्व0 लाल बहादुर सिंह ग्राम+पोस्ट- पैकपार थाना भरगाम जिला- अररिया एम0सी0एस- एफ 65403 / 10311295	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत ।

101	धनेश्वर सिंह पिता- राम सुकर सिंह ग्राम-चपटाही पोस्ट- छवराही थाना- पीरो जिला भोजपुर एम0सी0एस- 10366132	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
102	मजहर अली पिता- मोवीन उल्लाह ग्राम- पीपरपाती पो0- गोवा पीपरपाती थाना- सहाजितपुर जिला- सारण एम0सी0एस- 10368659	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
103	नरगिश खातुन पति- मोहम्मद कुर्बान असारी ग्राम- बसत नगर पो0-सहुली थाना- एम0 एच0 नगर जिला- सीवान एम0सी0एस- एफ 91421	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
104	राजेश वर्मा पिता- स्व0 चद्रदीप प्रसाद ग्राम- नार्थ मदिरा पो0- जी0पी0ओ0 थाना- बुद्धा कॉलोनी जिला- पटना एमसीएस नं0- ई 57005 / 10202898	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
105	रीता कुमारी पति- अशोक कुमार ग्राम- ब्रह्मस्थान पो0- भौकिला थाना- हिलसा जिला- नालदा एमसीएस नं0- एफ 41955 / 10287847	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
			₹ 89,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 89,80,000/- (नवासी लाख अस्सी हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 **000887**.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **3601018437** खाता धारक का नाम- 'महावीर कैसर इंस्टीच्युट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
5. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्स, सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2670(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887 ...की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
29/9/26

स0 स0 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

जीवक हार्ट अस्पताल एव शोध संस्थान प्रा० लि०,

ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बमबम कुमार शर्मा पिता- कैलाश शर्मा ग्राम+पो०- मुरौत थाना- रतवारा जिला- मधेपुरा	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुशीला देवी पति- महेस्वर सिंह ग्राम- बेरवा पो०- सलेमपुर थाना- करायपरसुराय जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
3	सरिता कुमारी पति- जुगल पासवान ग्राम- लखाचक पो०- तेतरावां थाना- गिरियक जिला- नालंदा	हृदय रोग एएसडी	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
4	सुनीता देवी पति- उमेश ठाकुर ग्राम- पकडी पकोही वार्ड 12 पो०- पकडी पकोही थाना- करजा जिला- मुजफ्फरपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
5	बिरेन्द्र कुमार मिश्रा पिता- राम देव मिश्रा ग्राम- महीदनगर पो०- बघोई थाना- उपहारा जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।

6	विना देवी पति- भूषण ठाकुर ग्राम- गोढी टोला पोखरिया पो0- दनौली फुलवरिया थाना- बलिया जिला- बेगूसराय	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	मीरा पति- अखिलेश कुमार सिंह ग्राम+पो0- बिशनपुर थाना- पतरघट जिला- सहरसा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	रजू देवी पति- राजवशी कुमार सिंह ग्राम- गारा वार्ड 03 पो0- गारा थाना- बीरपुर जिला- बेगूसराय	हृदय रोग बीएमवी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	अब्दुल सत्तार असारी पिता- अब्दुल जब्बार असारी ग्राम- कोनी टोला शेखपुरा पो0+थाना- टंडवा जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
10	सुभद्रा देवी पति- राजेद्र यादव ग्राम- कविलासा पो0- हलधारा हाट थाना- कुर्साकांटा जिला- अररिया	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
11	राजेश कुमार सिंह पिता- मदन मोहन सिंह ग्राम- हरिपुर पो0- फुदकीचक थाना- गोगरी जिला- खगडिया	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
12	मो0 फारुक पिता- गुलाम रसूल ग्राम- केशरौरा पो0- मगलगढ थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
13	आशा गुप्ता पति- नन्द कुमार गुप्ता ग्राम- उत्तरी हाजीपुर खगडिया पो0- खगडिया थाना- चित्रगुप्त नगर जिला- खगडिया	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

14	हरिकिसुन मंडल पिता- भलेश्वर मंडल ग्राम- चन्नीपुर पो- बासुदेवपुर थाना- लौकहा जिला- मधुबनी	हृदय रोग डीभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			12,65,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,65,000/- (बारह लाख पैंसट हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसूली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुपयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 29/9/2024

ज्ञापाक 2671(14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक.....

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **23.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गंगा विशुन प्रसाद पिता- चन्द्र प्रसाद ग्राम- मेन रोड काली सीन वार्ड 15 पो०+थाना- हिलसा जिला- नालंदा यूएचआईडी नं०- 3000625425	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	बिना देवी पति- शंकर दास ग्राम- बोहर वार्ड 06 पो०- तेलता थाना- बलरामपुर जिला- कटिहार यूएचआईडी नं०- 3000652414	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	जाबिया खातून पति- शाहीद शाह ग्राम- छज्जू चांदनी टोला वार्ड 13 पो०+थाना- बिहारशरीफ जिला- नालंदा यूएचआईडी नं०- 3000657120	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	फात्मा खातून पति- रफीउर रहमान ग्राम- महादेवदिघी सोन्था वार्ड 05 पो०- सोन्था थाना- कोचाधामन जिला- किशनगंज यूएचआईडी नं०- 3000654061	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	शम्मा देवी पति- महेश राय ग्राम- सुखासन वार्ड 03 पो०- सुखासन थाना- कुमारखंड जिला- मधेपुरा यूएचआईडी नं०- 3000657631	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	दिलीप मुखिया पिता— दुखी मुखिया ग्राम— मझरिया शेख वार्ड 06 पो0— मझरिया शेख थाना— मझौलिया जिला— पश्चिम चम्पारण यूएचआईडी न0— 3000652369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	बिरेन्द्र नारायण दास पिता— स्व0 हरी नारायण दास ग्राम— भवानीपुर दक्षिण वार्ड 12 पो0+थाना— प्रतापगज जिला— सुपौल यूएचआईडी न0— 3000657486	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	बन्दे लाल यादव पिता— दाना लाल यादव ग्राम— द्वालख वार्ड 11 पो0— द्वालख थाना— भेजा जिला— मधुबनी यूएचआईडी नं0— 3000616712	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	सजय कुमार चौरसिया पिता— राजकिशोर प्रसाद ग्राम— नवादा वार्ड 04 पो0— नवादा थाना— बरौली जिला— गोपालगज यूएचआईडी न0— 3000653114	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	विणा देवी पति— लक्ष्मण प्रसाद ग्राम— शीतल भकुरहर वार्ड 05 पो0— मणि भकुरहर थाना— सराय जिला— वैशाली यूएचआईडी नं0— 3000603354	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	मास्टर बॉबी कुमार पिता— सूचित प्रसाद ग्राम— अगनुबिगहा वार्ड 09 पो0— अकबरपुर थाना— हिलसा जिला— नालंदा यूएचआईडी न0— 3000565416	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			8,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,80,000/— (आठ लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0— 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000887..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम—पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार—चालू बैंक का नाम—एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का

नाम—AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD
PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं०— HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
9. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2672(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000887.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना
29/9/2026
निदेशक प्रमुख



सं0सं0-14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	विवेक रजन साहा (Vivek Ranjan Saha) पिता- स्व० गौर दास साहा ग्राम+पो०+थाना- सहरसा जिला- सहरसा	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक

है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2673(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं०. 000887 ..की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/9/26
निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बिपिन कुमार पिता- अरविन्द राय ग्राम- चिरैया पो०+थाना- बख्तियारपुर जिला- पटना	ट्रामा सर्जरी	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 50,000/- (पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा० लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2674(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. मैनेजर/स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साईं हौस्पिटल
(हार्ट युनिट) ई०-143
साउथ मलाही पकड़ी चौक
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अन्तरा देवी पति- मोहन सिंह ग्राम- गरभूचक वार्ड 08 पो०- दैली थाना- हरनौत जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
2	अजमत आरा पति- शौकत अली ग्राम+पो०- सोनसीहरी थाना- मुफ्फसिल जिला- नवादा	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			1,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,70,000/- (एक लाख सत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 100887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स०-50200037828274 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी० पत्रकार नगर, कंकड़बाग शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड स० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक

29/9/2026

ज्ञापाक

2675 (14)

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000887... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय कुमार तिवारी पिता— स्व० नन्द किशोर तिवारी ग्राम— चदा पो०— तेजपुरवा थाना— मढौरा जिला— सारण	Cholecystectomy	60,000	साठ हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			60,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 29/9/2026

ज्ञापक 2676 (14)

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. सी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकड़बाग पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नारायण यादव पिता- भोला प्रसाद यादव ग्राम- बधौली पो०- सोहन्दर थाना- पलासी जिला- अररिया	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	छोटू कुमार पिता- श्याम बाबू साव ग्राम- बीबीगज भट्टा रोड पो०- दानापुर कैंट थाना- दानापुर जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	अजय कुमार पाण्डेय पिता- लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ग्राम- गोरपा पो०- डिलिया थाना- चौरी जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	मुकुल कुमार पिता- मनोज कुमार तिवारी ग्राम- दिवान मोहल्ला राम जानकी चौराहा पो०- झाऊगज थाना- खँजेकला जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	रेखा देवी पति- अरुण कुमार ग्राम- विष्णुपुरी पो0- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	धर्मराज कुमार पिता- शिव नदन सिंह ग्राम+पो0- कोचगाँव थाना- वारसलीगज जिला- नवादा	कैसर रोग	80,000	पचास हजार स्वीकृत।
			4,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,80,000/- (चार लाख अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000887... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2677 (14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 000887... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
29/9/26

स0 स0 14/एम 11-01 /2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैंसर सेटर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक . .

विषय – मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **23.09.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है.-

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	आदित्य यादव पिता- रमेश यादव ग्राम+पो0- सिसवा बरही थाना- फुलपरास जिला- मधुबनी	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	सुदामा सिंह पिता- भगवान सिंह ग्राम- बनसोही 6 पोस्ट- बनसोही थाना- मशरक जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	मुकेश कुमार सिंह पिता- रमेन्द्र कुमार सिंह ग्राम- कसाप वार्ड 09 पो0- कसाप थाना- उदवत नगर जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राम प्रकाश महतो पिता- अशर्फी महतो ग्राम- अकहा कुरहा 12 पो0- सलहा सैदपुर बरारी थाना- साम्हो जिला- बेगुसराय	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



5	गुलनाज खातुन पति- मो० तबरेज आलम ग्राम- शाही मोहल्ला पो०- अरवल थाना+जिला- अरवल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
6	नसाद अहमद पिता- अमीर उद्दीन ग्राम- फुलवारी शरीफ भदौनी पो०- नवादा थाना- नवादा सदर जिला- नवादा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
7	फुल्टन मडल पिता- भुदेव मडल ग्राम- रहमतपुर पो०- असरगंज थाना- असरगंज जिला- मुगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
8	बीबी ताफसिरा पति- मो० सोनु ग्राम- दिन मोहम्मदपुर लेन नरगा बाजार, पोस्ट- चम्पा नगर थाना- नाथ नगर जिला- भागलपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
9	पिटु यादव पिता- मोहन यादव ग्राम- चकला पो०- धनछोहा थाना- बैजनाथपुर जिला- सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
10	दयानन्द यादव पिता- श्रीमान यादव ग्राम- बैडडा पो०- भडारतल थाना- बरारी जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
11	प्रभा देवी पति- राम सिगासन सिंह ग्राम- धूमनगर वार्ड 7 पो०- सिगौला थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
12	पवन देवी पति- राजदेव मंडल ग्राम- रसुआर पो०- मुगरहा थाना+जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।

13	सरोज देवी पति- राकेश यादव ग्राम-शाहरू पो0- धनरुआ थाना धनरुआ जिला पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	अनुरुद सिंह पिता- राम किशुन सिंह ग्राम- तेगाछी 02 पोस्ट- कैथी थाना- चौथम जिला- खगडिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	बीबी अंसारी पति-याकुब ग्राम- मोधोपारा वार्ड 02 पो0- बैरगाछी थाना- बैरगाछी ओ0पी0 जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	ललिता देवी पति- अनिल चौधरी ग्राम- थरबिड्डा वार्ड 11 पोस्ट- थरबिड्डा थाना- किशनपुर जिला-सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	पुनम देवी पति- जय प्रकाश साह ग्राम- रामचन्द्रपुर पो0- रामचन्द्रपुर थाना- सराय रजन जिला- समस्तीपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	रवि कुमार लाल पिता दुर्गा लाल ग्राम+पो0- पीरो थाना- पीरो जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	चन्द्रिका शर्मा पिता- तुलसी शर्मा ग्राम- मोहब्बत छपरा पो0- सुबैया थाना- तुरकौलीया जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	दुखनी देवी पति- रोमन तांती ग्राम- दिलावरपुर वार्ड 09 पोस्ट- बैरिया थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।



21	सनोवर पति- शमीम अख्तर ग्राम- मीर नगर पोस्ट+थाना- अररिया जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	अनामिका देवी पति- रजनीश कुमार सिंह ग्राम- धूमनगर जहागीरपुर पो0- सिगैला थाना-मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	तहमीना खातुन पति- सैफुल हुसैन ग्राम- खास दहीभात 09 पो0- तुलसिया थाना- दीघल बैंक जिला- किशनगंज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	नसीबा जहाँ पति- हिजबुल हसन ग्राम- महताबपुर साँथा पोस्ट-साँथा थाना- कोचाधामन जिला- किशनगंज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
25	फरजाना पिता- मो0 अरशद हुसैन ग्राम- सीता शरण लेन वार्ड 29, पोस्ट- पटना जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
26	कमाल खान पिता- जमील खान ग्राम- कोईमारी वार्ड 02 पोस्ट- बनगामा थाना- बहादुरगंज जिला- किशनगंज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	नीलम देवी पति- मन्नु ठाकुर ग्राम- तिरसठ पोस्ट- कनौर थाना- कमतौल जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	तमन्ना प्रवीण पति- मो0 जमशेद अंसारी ग्राम- नवादा 39 पो0- आरा थाना- आरा नवादा जिला- भोजपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

29	सुदामा राम पिता- नरेश राम ग्राम- सरमेरा पो0- सरमेरा थाना- सरमेरा जिला नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
30	तनवीर आलम पिता- अलाउद्दीन ग्राम- करामतपुर पो0- मरघिया थाना- बरारी जिला-कटिहार	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
31	उपेन्द्र दास पिता- सरयुग दास ग्राम- बलुआहा पो0- खिरहो बलुआहा थाना- महीषी जिला- सहरसा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
32	मो0 नुर कौशर पिता- मो0 हनीफ ग्राम- जोरगज पो0- एकराहा थाना- जानकी नगर जिला- पूर्णिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
33	संजु देवी पति- रजीत सरदार ग्राम- कोल्हुआ वार्ड 7 पो0- कोल्हुआ थाना- शकरपुर जिला- मधेपुरा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
34	यश राज पिता- प्रमोद कुमार ग्राम- नासरीगंज बिस्कुट फैक्टरी मोड पो0- दीघा थाना दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
35	विजय प्रसाद पिता- केदार प्रसाद ग्राम+पो0- रधुनाथपुर थाना ब्रह्मपुर जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।
36	जुबैदा खातुन पति- मो0 फिरोज शेख ग्राम- दुर्गापट्टी पो0- पिपरौन थाना हरलाखी जिला मधुबनी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत ।



37	लालमती देवी पति- देवशी राय ग्राम- बिस्कुट फैक्टरी मॉड नासरीगज पोस्ट- दीघा थाना- दानापुर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	राज नारायण यादव पिता- मौजे लाल यादव ग्राम- बनौल पो0- भच्छी थाना- बहेडी जिला- दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	दुर्गानंद कामत पिता- करि कामत ग्राम- बेलहा वार्ड 01 पो0- सिमरिया थाना- त्रिवेणीगज जिला- सुपौल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	अजय प्रसाद यादव पिता- जगदीश प्रसाद यादव ग्राम- जकरियापुर पोस्ट- बडी पहाडी थाना- अगमकुआ जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	गणेश कुमार पिता- अजय राम ग्राम- मुत्राचक 44 पो0 लोहिया नगर थाना- पत्रकार नगर जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	कुमारी अनिता पति- सूर्य कात सन्यासी ग्राम- नत्थुपुर रोड पो0- कुरथौल थाना- परसा बाजार जिला पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	रहीम असारी पिता- मंसुर असारी ग्राम- सितवापुर वार्ड 04 पोस्ट- डी0 के0 शिकारपुर थाना- शिकारपुर जिला- प0 चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			34,30,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 34,30,000/- (चौतीस लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-36930644306 खाता धारक का नाम-"बुद्धा कैसर सेंटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2678(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
29/9/26

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर

मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक..... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कविता देवी पति- लखन यादव ग्राम+पो0- इन्दपे थाना- जमुई जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	प्रियका देवी पति- दीपक पासवान ग्राम- जमनीपुर पो0- मगोबानदार थाना- खैरा जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुरेन्द्र पूर्वे पिता- महेन्द्र पूर्वे ग्राम- भटौलिया वार्ड 07 पो0- मरुआवा थाना- बथनाहा जिला- सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सोनी देवी पति- पतिराम यादव ग्राम- मदनडोभ पो0- खोजपुर थाना- बाबुबरही जिला- मधुबनी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	जगतनारायण सिंह पिता- स्व० परमेश्वर सिंह ग्राम- मुबारगपुर पो0- तुलसीगढ थाना- चडी जिला- नालदा	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	पिन्टू कुमार पिता- सुरेन्द्र प्रसाद ग्राम- टरमा धमौली रामनाथ पो- कलवारी थाना- काँटी जिला- मुजफ्फरपुर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	गोपेश्वर नाथ सिंह पिता- स्व० मिथलेश कुमार सिंह ग्राम+पो- सहरी थाना- बाढ जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			5,80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,80,000/- (पाँच लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887.... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- इंडियन बैंक, शाखा का नाम- हनुमान नगर, कंकडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2679(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000887...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक/प्रमुख
29/9/26

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुंआ पटना 800007

पटना, दिनांक

विषय.— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— **23.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	देवरतिया देवी पति— महेन्द्र कुमार पासवान ग्राम— बाबूगंज रफीगंज पो0+थाना— रफीगंज जिला— औरंगाबाद	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0- KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली

रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2680(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0सं0'14 / एम-11-1 / 2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
क्यूरिस अस्पताल,
आर० के० पुरम मोड
नियर सगुना मोड, दानापुर
खगौल रोड, पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजय कुमार पिता- राजेंद्र चौधरी ग्राम- हरिदासपुर पो०- खगौल थाना- रूपसपुर जिला- पटना	हेपेटाइटिस- बी	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887 . . . द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200020792300 खाता धारक का नाम- M/S PUSHPAM CARE AND CURE PVT LTD. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच०डी०एफ०सी०, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं० HDFC 0003961 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2681(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक.... ..

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **23.09.2026** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	प्रभा देवी पति- विजय कुमार दुबे ग्राम- बेडौलिया पो0- नरेद्र खाप थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	मंजू देवी पति- शिवलखन प्रसाद ग्राम- न्यू एतवारपुर राम जानकी पथ पो0- कुरथौल थाना- परसा बाजार जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	राजकिशोर प्रसाद श्रीवास्तव पिता- जनक प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम+पो0- निमोईया थाना- घोडासाहन जिला- पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग एवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राजकुमार राम पिता- चंद्रदेव राम ग्राम+पो0- भोरहा थाना- पानापुर जिला- सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,00,000	

2

उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी०

आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000887. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड स0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2682 (14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000887.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)

बी/29 पत्रकार नगर

कंकडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक .

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	लालमति देवी पति- अनिरुद्ध प्रसाद सिंह ग्राम- हसनपुरा वार्ड 04 पो०- बेदौली थाना- भगवानगज जिला- पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	तबरसुम प्रवीण पिता- मो० शाहनवाज अख्तर ग्राम- दौलतपुर सिमरी वार्ड 11 पो०- सिमरी थाना- बिहटा जिला- पटना	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मो० रमतुल्लाह पिता- मो० नूर हसन ग्राम- गोरबीघा पो०- कोनन्द थाना- अस्थवा जिला- नालंदा	हृदय रोग पीटीसीए	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,80,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स०- 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का

नाम—एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम

RTGS/IFSC कोड स0 SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।

- 3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
- 4 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 5 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0 /—

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2683 (14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं0 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
HDNA AAROGYAM HOSPITAL,
IAS Colony, Behind Damro Furniture Showroom,
Off Rupaspur Flyover, Bailley Road, Rupaspur,
Patna – 801503

पटना, दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	गौरव कुमार पिता— स्व० भगवान दास ग्राम— सुल्तानपुर दानापुर पो०— दानापुर कैंट थाना— दानापुर जिला— पटना	किडनी रोग (हिमोडायलिसिस)	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०— 41174672661, खाता धारक का नाम— CUREMARK HEALTHCARE PVT. LTD, खाते का प्रकार— CURRENT ACCOUNT, बैंक का नाम— STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम— SAGUNA MORE PATNA, RTGS/IFSC कोड सं०— SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरे के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
8. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2684 (14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस,
II Floor लीजेन्ड प्लाजा,
नीयर पासपोर्ट आफिस
आशियाना दीघा रोड,
पटना -800014

पटना, दिनांक—

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कान्ती देवी पति— काशीनाथ पाडेय ग्राम— जनकपुरी हसनपुरा विधा नगर पो०— बेउर थाना— फुलवारीशरीफ जिला— पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) ₹0 के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000887.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स० 440030110000048 खाता धारक का नाम—“वेदान्ता सेटर फार अपथैलमिक साईंस ” खाते का प्रकार—चालु बैंक का नाम—बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम—पटना मेन ब्रांच, फ्रेजर रोड, पटना RTGS/IFSC कोड स० BKID 0004400 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय बिल के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
8. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2685(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं०...000887...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
नदकिशोर केशरी
पिता— लालबहुदर केशरी
ग्राम+पो०— रामपुर
थाना— बखरी
जिला— बेगूसराय
पिनकोड— 848201

पटना दिनांक .. .

विषय:— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नदकिशोर केशरी पिता— लालबहुदर केशरी ग्राम+पो०— रामपुर थाना— बखरी जिला— बेगूसराय पिनकोड— 848201	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक—30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/—	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/—(एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 000887 ... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता स०—2288006100108293, खाता धारक का नाम— Mr. NAND KISHOR KESHARI, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम— BAKHRI BAZAR, IFSC कोड स०—PUNB0228800 में अंतरित किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

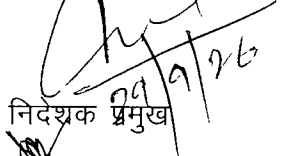
ह०/—
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2692(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

7-8 1092 11. 22/11

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
रजनीश पाण्डेय
पिता- हरि शकर पाण्डेय
ग्राम+पो०- सदावाह
पो०- दुल्हिन बाजार
जिला- पटना
पिनकोड- 801102

पटना दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रजनीश पाण्डेय पिता- हरि शकर पाण्डेय ग्राम+पो०- सदावाह पो०- दुल्हिन बाजार जिला- पटना पिनकोड- 801102	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-1545000100211918, खाता धारक का नाम- Mr. RAJNISH PANDEY, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- PUNJAB NATIONAL BANK, शाखा का नाम-, IFSC कोड सं०- PUNB0154500 में अंतरित किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

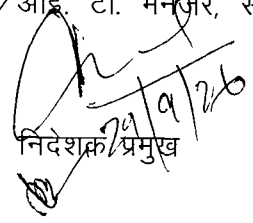
ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2693(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 000887की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक/प्रमुख

बैचत बैंक खातों के साथ आधार नम्बर को जोड़े।
आधार नम्बर की उस सत्यापित प्रात एवं मोबाईल नम्बर प्रस्तुत करें।

पृष्ठ 11 पदार्थ / ACCOUNT PARTICULARS

1970-1980, B1 60.
 1981-1982
 1983-1984
 1985-1986
 1987-1988
 1989-1990
 1991-1992
 1993-1994
 1995-1996
 1997-1998
 1999-2000
 2001-2002
 2003-2004
 2005-2006
 2007-2008
 2009-2010
 2011-2012
 2013-2014
 2015-2016
 2017-2018
 2019-2020
 2021-2022
 2023-2024
 2025-2026
 2027-2028
 2029-2030
 2031-2032
 2033-2034
 2035-2036
 2037-2038
 2039-2040
 2041-2042
 2043-2044
 2045-2046
 2047-2048
 2049-2050
 2051-2052
 2053-2054
 2055-2056
 2057-2058
 2059-2060
 2061-2062
 2063-2064
 2065-2066
 2067-2068
 2069-2070
 2071-2072
 2073-2074
 2075-2076
 2077-2078
 2079-2080
 2081-2082
 2083-2084
 2085-2086
 2087-2088
 2089-2090
 2091-2092
 2093-2094
 2095-2096
 2097-2098
 2099-2100
 2101-2102
 2103-2104
 2105-2106
 2107-2108
 2109-2110
 2111-2112
 2113-2114
 2115-2116
 2117-2118
 2119-2120
 2121-2122
 2123-2124
 2125-2126
 2127-2128
 2129-2130
 2131-2132
 2133-2134
 2135-2136
 2137-2138
 2139-2140
 2141-2142
 2143-2144
 2145-2146
 2147-2148
 2149-2150
 2151-2152
 2153-2154
 2155-2156
 2157-2158
 2159-2160
 2161-2162
 2163-2164
 2165-2166
 2167-2168
 2169-2170
 2171-2172
 2173-2174
 2175-2176
 2177-2178
 2179-2180
 2181-2182
 2183-2184
 2185-2186
 2187-2188
 2189-2190
 2191-2192
 2193-2194
 2195-2196
 2197-2198
 2199-2200
 2201-2202
 2203-2204
 2205-2206
 2207-2208
 2209-2210
 2211-2212
 2213-2214
 2215-2216
 2217-2218
 2219-2220
 2221-2222
 2223-2224
 2225-2226
 2227-2228
 2229-2230
 2231-2232
 2233-2234
 2235-2236
 2237-2238
 2239-2240
 2241-2242
 2243-2244
 2245-2246
 2247-2248
 2249-2250
 2251-2252
 2253-2254
 2255-2256
 2257-2258
 2259-2260
 2261-2262
 2263-2264
 2265-2266
 2267-2268
 2269-2270
 2271-2272
 2273-2274
 2275-2276
 2277-2278
 2279-2280
 2281-2282
 2283-2284
 2285-2286
 2287-2288
 2289-2290
 2291-2292
 2293-2294
 2295-2296
 2297-2298
 2299-2300
 2301-2302
 2303-2304
 2305-2306
 2307-2308
 2309-2310
 2311-2312
 2313-2314
 2315-2316
 2317-2318
 2319-2320
 2321-2322
 2323-2324
 2325-2326
 2327-2328
 2329-2330
 2331-2332
 2333-2334
 2335-2336
 2337-2338
 2339-2340
 2341-2342
 2343-2344
 2345-2346
 2347-2348
 2349-2350
 2351-2352
 2353-2354
 2355-2356
 2357-2358
 2359-2360
 2361-2362
 2363-2364
 2365-2366
 2367-2368
 2369-2370
 2371-2372
 2373-2374
 2375-2376
 2377-2378
 2379-2380
 2381-2382
 2383-2384
 2385-2386
 2387-2388
 2389-2390
 2391-2392
 2393-2394
 2395-2396
 2397-2398
 2399-2400
 2401-2402
 2403-2404
 2405-2406
 2407-2408
 2409-2410
 2411-2412
 2413-2414
 2415-2416
 2417-2418
 2419-2420
 2421-2422
 2423-2424
 2425-2426
 2427-2428
 2429-2430
 2431-2432
 2433-2434
 2435-2436
 2437-2438
 2439-2440
 2441-2442
 2443-2444
 2445-2446
 2447-2448
 2449-2450
 2451-2452
 2453-2454
 2455-2456
 2457-2458
 2459-2460
 2461-2462
 2463-2464
 2465-2466
 2467-2468
 2469-2470
 2471-2472
 2473-2474
 2475-2476
 2477-2478
 2479-2480
 2481-2482
 2483-2484
 2485-2486
 2487-2488
 2489-2490
 2491-2492
 2493-2494
 2495-2496
 2497-2498
 2499-2500
 2501-2502
 2503-2504
 2505-2506
 2507-2508
 2509-2510
 2511-2512
 2513-2514
 2515-2516
 2517-2518
 2519-2520
 2521-2522
 2523-2524
 2525-2526
 2527-2528
 2529-2530
 2531-2532
 2533-2534
 2535-2536
 2537-2538
 2539-2540
 2541-2542
 2543-2544
 2545-2546
 2547-2548
 2549-2550
 2551-2552
 2553-2554
 2555-2556
 2557-2558
 2559-2560
 2561-2562

प्रधिकारी अधिकारी/प्रबंधक / Authorised Official/Manager
प्रधिकारी द्वारा अभिलेखित

सुनिश्चित विवरणों पर निर्भर करता है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सूचित सूचनाओं को आवश्यकता नहीं है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सूचित सूचनाओं को आवश्यकता नहीं है। कृपया कम्प्यूटर द्वारा सूचित सूचनाओं को आवश्यकता नहीं है।

**Link your Aadhar Number with SB Account.
Submit self certified copy of Aadhar Card and Mobile Number.**

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-28-2001 BY 60322 UCBAW

[illegible]

ग्राहक/Name _____
 खाता/Account Holder-1 _____
 खाता/Account Holder-2 _____
 खाता/Account Holder-3 _____

हैं। हमें इन दिनों के दौरान अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा।

दिन में खाते से हटाया जा सकता है। Bank shall only honour or pay the cheques of the customers against clear balance with Bank on any day and against clear balance including withdrawals made through internet the previous day and against regard to the withdrawals of the day already made in the Banking & ATMs having regard to the withdrawals of the day already made in the Banking & ATMs.

स० स० 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

रणवीर कुमार सिंह

पिता— स्व० सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह

ग्राम— बाजार समिति नासरीगंज रघुवेशी नगर दानापुर दियारा

पो०— दीघा

थाना— दानापुर

जिला— पटना

पिनकोड— 800012

पटना दिनांक

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रणवीर कुमार सिंह पिता— स्व० सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम— बाजार समिति नासरीगंज रघुवेशी नगर दानापुर दियारा पो०— दीघा थाना— दानापुर जिला— पटना पिनकोड— 800012	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या— 213(14), दिनांक—30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /—(एक लाख आठ हजार)) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०—30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०—3310265192, खाता धारक का नाम— Mr. RANVIR KUMAR SINGH, खाते का प्रकार—, बैंक का नाम— CENTRAL BANK OF INDIA, शाखा का नाम— AKHGAON, IFSC कोड सं०— CBIN0284878 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2694(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

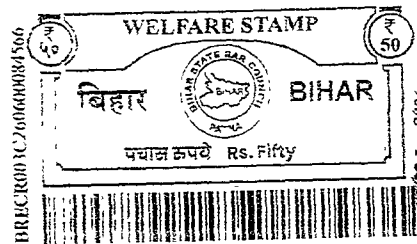
प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

समक्ष,

लेख्य प्रमाणक,
पटना।



शपथ पत्र

मैं रणवीर कुमार सिंह, पिता—स्व० सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, पता—बाजार समिति नर्सरीगंज, रघुवंशी नगर दानापुर, वार्ड सं०—35, पोस्ट—टीघा, पिन कोड—800012, थाना—दानापुर, जिला—पटना, बिहार के स्थाई निवासी हूँ एवं शपथ पूर्वक व्यान करता हूँ कि :—

1. यह कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ तथा मेरा आधार सख्या—4857 4887 2729 है।
2. यह कि मेरे गुर्दा का प्रत्यारोपण CHARNOCK HOSPITAL, BMC 195, TEGHARIA, BISWA BANGLA SARANI, NEW TOWN, KOLKATA-700157 में हो चुका है। मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
3. यह कि मेरे चिकित्सकीय परामर्श, जाँच एवं दवा पर अत्यधिक व्यय हो रहा है। मैं आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हूँ। ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय परामर्श, जाँच एवं दवा पर अत्यधिक व्यय होने के कारण ईलाज का समुचित व्यवस्था करना मेरे लिए कठिन हो गया है।
4. यह कि मेरे गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात् अस्पताल से डिस्चार्ज होने के उपरान्त चिकित्सकीय परामर्श, जाँच एवं दवा पर होने वाले व्यय के लिए सरकारी नियमानुसार अनुदान एवं सहायता राशि मेरे बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा—अखगँव, संदेश (भोजपुर), खाता सं०—3310265192, IFSC Code—CBIN0284878 में प्रदान करने की कृपा की जाए। इसी आशय का शपथ पत्र बनवा रहा हूँ।
5. यह कि उपरोक्त शपथ पत्र में अंकित बातें मेरी जानकारी में सही व सत्य हैं। यदि भविष्य में मेरी बातें असत्य पायी जाती हैं तो सारी जबाबदेही मेरी होगी।



शपथकर्ता का हस्ताक्षर

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
रजीत कुमार
पिता- महेश सिंह
ग्राम- करवाहॉ बुजुर्ग वार्ड 10
पो०+थाना- करताहॉ
जिला- वैशाली
पिनकोड- 844119

पटना दिनांक.

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रंजीत कुमार पिता- महेश सिंह ग्राम- करवाहॉ बुजुर्ग वार्ड 10 पो०+थाना- करताहॉ जिला- वैशाली पिनकोड- 844119	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

2. उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 000887 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०-32721779454, खाता धारक का नाम- RANJEET KUMAR, खाते का प्रकार- REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- JAGDISHPUR CHATRBHUJ, IFSC कोड सं०- SBIN0015591 में अंतरित किया जाता है।
3. निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2695(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर (स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रमुख बैंक जाने वाले संक्षेप / GENERALLY USED ABBREVIATIONS

Account/खाता	Cash/कैश	Poc = Point of Sale/बिंदु बिक्री
Adj = Adjustment/संशोधन	Deposit/वसूली	Pr = Principal/मूल
Am = Amount/राशि	Draft/ड्राफ्ट	Proc = Processing Charge/प्रसंशोधन शुल्क
Arrear/अग्रिम	Dish = Dishonor/अपमान	RD = Recurring Deposit/पुनरावृत्ति
Bal = Balance/बैलेंस	DOB = Date of Birth/जन्म तिथि	Ret = Return/वापस
Cap = Capitalisation/मूल्य	EFTR = Electronic Fund Transfer/इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर	Rnd = Round off/गुणित
Ch = Charge/शुल्क	Inop = Inoperative/निष्क्रिय	SB = Savings Bank/सavings बैंक
Cheque/चेक	Ins = Insurance/बीमा	SC = Short Credit/छोटा क्रेडिट
CIF = Customer Information File/ग्राहक सूचना फाइल	Int / in = interest/लाभ	S/I/S: SORD = Standing Instruction/स्थायी निर्देश
Cls = Closure/समाप्ति	Ion/loan/भूत	S/D/W, H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति
Col = Collection/संग्रह	min = Minimum/न्यूनतम	tr/trf/xfer = Transfer/संचालन
Com = Commission/आय	os = Outstanding/उपस्थित	txn = Transaction/संचालन
CORR = Correction/संशोधन	Post = Postal Charges/पोस्टल शुल्क	Wd = Withdrawal/निकास
Cred = Credit/क्रेडिट		*MOD bal = Total balance (SB-linked MOD a/c)/मूल्य (संलग्न MOD खाते का बैलेंस)

SBI

2/12/2012
2012
2012

AC No: — 32721779454

A/C opening Dt: — 20/12/2012

स0 स0 14/एम 11- 01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
सजय सहनी
पिता- दरेश सहनी
ग्राम- फकीराडीह
पो०+थाना- गायघाट
जिला- मुजफ्फरपुर
पिनकोड- 847107

पटना दिनांक . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सजय सहनी पिता- दरेश सहनी ग्राम- फकीराडीह पो०+थाना- गायघाट जिला- मुजफ्फरपुर पिनकोड- 847107	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक-30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000/-	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000/- (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० **000887** द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- **31065104084**, खाता धारक का नाम- **SHRI SANJAY SAHANI**, खाते का प्रकार- **REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT**, बैंक का नाम- **STATE BANK OF INDIA**, शाखा का नाम- **KANTA**, **IFSC** कोड सं०- **SBIN0008393** में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-
(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2696(14)

पटना, दिनांक 29/9/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 000887 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



सुरक्षित बैंकिंग के लिए कुछ सुझाव



ATM/SBI

सहायता के लिए कृपया हमसे संपर्क करें

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109

Tips for Secure Banking

- Always use a secure internet connection with a password-protected device and a secure network.
- Do not use public Wi-Fi for banking transactions.
- Do not click on suspicious links or download attachments from unknown sources.
- Do not share your login details or OTP with anyone.
- Do not use the same password for multiple accounts.
- Do not use SMS/Email for banking transactions.
- Do not use the same password for multiple accounts.
- Do not use the same password for multiple accounts.

Call or telephone number for assistance

1800-11-22-11/1800-425-3800/18001234/1800111109

To report any suspicious activity, kindly email on report.phishing@sbi.co.in or call on the cybercrime helpline number 1930.

For more information visit: <https://www.cybercrime.gov.in>, <https://bank.sbi/web/personal-banking/cyber-security>



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch: KANTA

Code: 8393

VILL: KANTA

Email: sbi.08393@sbi.co.in

Phone No.: 9031831488

IFSC: SBIN0008393

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00

MICR: 842002506

Name: Shri Santosh Sahni

S/D/H/o : DARESH SAHNI

CIF Number : 85728758865

Account No.: 31065104084

A/c Type : REGULAR SAVINGS BANK ACCOUNT

Address : C/O: Daresh Sahni Fakiradih Post-

Gaighat

Phone No. :

Email :

D.O.B. (if Minor):

PPO Number :

MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 19/02/2010

Nom Reg No:

Customer's PAN: EFSP54354N

Date of Issue: 13/07/2020

CONTINUATION

शशि प्रसाद
BRANCH MANAGER

सं० स० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशी नगर,
पटना-800023 ।

पटना, दिनांक...

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 23.09.2026 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अमरेन्द्र कुमार सिन्हा पिता- स्व० विरेन्द्र कुमार सिन्हा ग्राम- अमरदीप नगर पूर्वी डेलवॉ ट्रांसफॉर्मर के पास पो०- डेलवॉ थाना- रामकृष्ण नगर जिला- पटना	टोटल हीप रिप्लेसमेंट	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 50,000/- (पचास हजार) मात्र का क्रास चेक सं० 000886 मूल रूप में संलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सदाधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
- इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)

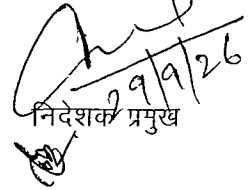
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2661(14)

पटना, दिनांक

29/9/2026

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीज के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख